भारत सरकार
पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय
उप –कार्यालय,
अरण्य भवन, नार्थब्लक,
सेक्टर–19, नवारायपुर, अटलनगर
छत्तीसगढ़ – 492002
ईमेल–iro.raipur-mefcc@gov.in

GOVERNMENT OF INDIA
MINISTRY OF ENVIRONMENT, FORESTS & CLIMATE CHANGE
SUB - OFFICE
ARANYA BHAWAN, NORTH BLOCK, SECTOR-19, NAVA RAIPUR, ATAL NAGAR, CHHATTISGARH – 492002 Email – iro.raipur-mefcc@gov.in

File No. FC-III/IROCH-05/2022/14 **Date: 17/04/2024**

To,

The Principal Secretary (Forests),
Govt. of Chhattisgarh, Forest Department,
Mantralaya, Mahanadi Bhavan,
Nava Raipur (CG) – 492001

Sub:- Diversion of 157.035 ha of forest land under Forest Conservation Act, 1980 proposed for Construction of New BG electrified Railway line from Urga to Dharamjaygarh from Km 0 to Km 62 in Korba and Raigarh District in the state of Chhattisgarh.

Sir,

Kindly refer to the letter no. F-5-01/2022/10-2 dated 13.03.2024 of the State Government Chhattisgarh, and letter no Bhu-prabandh/Misc./115-726/1666 dated 14.07.2023 of APCCF, Nodal Officer (FCA), Chhattisgarh on the above subject seeking prior approval of the Central Government under Section -2 of the Forest (Conservation) Act, 1980. It is to say that after examination of the proposal of the State Government, 'In-principle' approval was accorded by the Central Government vide its letter dated 02.03.2023. The State Government of Chhattisgarh has now submitted a report on the compliance of conditions stipulated in the 'in-principle' approval and requested for final approval of the proposal. After the examination of the proposal in the Regional Office, MoEF&CC, following observation is noted:

In the Stage-1 conditions number -2 (b) *the non-forest lands (Orange area OA-687, OA-716, and OA-721 total OA area 115.15 ha) proposed for raising CA shall be transferred and mutated in the name of Forest Department and notified as RF/PF under Section 4 or Section 29 of the Indian Forest Act, 1927, prior to Stage-II approval.*

In view of the above, it is requested that the State Government may submit the requisite information and relevant documents mentioned above to this office for further action in this matter.

Yours faithfully,

Chaturbhuja Behera,IFS
Inspector General of Forests

Copy to:

1. The PCCF &HoFF, Government of Chhattisgarh, Sector-19, Aranya Bhavan, Atal Nagar, Naya Raipur (CG).
2. The Addl. PCCF & Nodal Officer (FCA), Government of Chhattisgarh, Sector-19, Aranya Bhavan, Atal Nagar, Naya Raipur (CG).
3. User Agency.
4. Guard File.

17/4/24

Chaturbhuja Behera, IFS
Inspector General of Forests

कार्यालय प्रधान मुख्य वन संरक्षक एवं वन बल प्रमुख छत्तीसगढ़
अरण्य भवन, सेक्टर–19, नार्थ ब्लॉक, कैपिटल काम्पलेक्स, नवा रायपुर, अटल नगर – 492002
(अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक – भू–प्रबंध)
दूरभाष: 0771 – 2512840 ई – मेल: apccf-lm.cg@gov.in

क्र./भू–प्रबंध/विविध/115–726/ 2617 नया रायपुर, दिनांक 11/11/2024

प्रति,

अपर मुख्य सचिव
छत्तीसगढ़ शासन, वन एवं जलवायु परिवर्तन विभाग
मंत्रालय, महानदी भवन
नवा रायपुर, अटल नगर

विषय :– **Diversion of 157.035 ha. of forest land under Forest Conservation Act, 1980 proposed for Construction of New BG electrified line from Urga to Dharamjaygarh from Km 0 to Km 62 in Korba and Raigarh District in Chhattisgarh-reg.**

संदर्भः– 1. भारत सरकार, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, एकीकृत क्षेत्रीय कार्यालय, नवा रायपुर का पत्र क्रमांक/F. No. FC-II/IROCH-5/2022/ 1285 दिनांक 02.03.2023

2. छत्तीसगढ़ शासन, वन एवं जलवायु परिवर्तन विभाग का पत्र क्रमांक / एफ 5–01/ 2022/ 10–2 दिनांक 06.06.2024 एवं पत्र दिनांक 18.10.2024

3. मुख्य वन संरक्षक, बिलासपुर वृत्त का पत्र कमांक/तक./181 दिनांक 15.01.2024 एवं पत्र कमांक 2725 दिनांक 21.10.2024

= 0 =

विषयांतर्गत संदर्भित पत्रों का अवलोकन करने का कष्ट करे।

संदर्भित पत्र–1 के माध्यम से प्रकरण में भारत सरकार, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, एकीकृत क्षेत्रीय कार्यालय, नवा रायपुर द्वारा प्रथम चरण स्वीकृति प्रदान की गई है जिसमें शर्त कमांक 2(b) अनुसार क्षतिपूर्ति वृक्षारोपण हेतु प्रस्तावित नारंगी क्षेत्र को वन विभाग के पक्ष में हस्तांतरण /नामांतरण कर भारतीय वन अधिनियम 1927 की धारा 4 के अंतर्गत अधिसूचित कराने की शर्त अधिरोपित है।

उक्त के अनुकम में संदर्भित पत्र–3 के माध्यम से प्रकरण में व्यपवर्तन हेतु प्रस्तावित क्षेत्र 157.035 हे. के एवज में क्षतिपूर्ति वृक्षारोपण हेतु कोरबा जिले के कटघोरा वन मंडल अंतर्गत केन्दई परिक्षेत्र के प्रस्तावित नारंगी वन खण्ड धोबापखना–ब रकबा 92.105 हे., छिंदिया–ब रकबा 171.500 हे. एवं छुहीगडई रकबा 82.605 हे. **कुल 346.210 हे.** का अनुशंसा सहित प्रेषित किया गया है।

संदर्भित पत्र–2 के माध्यम से कार्यालयीन पत्र दिनांक 21.05.2024 द्वारा प्रेषित अधिसूचना प्रस्ताव में कलेक्टर जिला कोरबा द्वारा जारी अनापत्ति प्रमाण पत्र में ग्राम छिंदिया परिक्षेत्र केन्दई कक्ष कमांक OA 687 खसरा नं. 72 रकबा 28.00 हे. निजी भूमि को संशोधित कर ग्राम छिंदिया परिक्षेत्र केन्दई कक्ष कमांक OA 687 खसरा नं. 721 रकबा 28. 00 हे. नारंगी वन क्षेत्र सुधार कर लिया गया है एवं तदनुसार कलेक्टर जिला कोरबा द्वारा संशोधित अनापत्ति प्रमाण पत्र दिनांक 18.09.2024 को प्रदाय की गयी है जो संलग्न है।

अतएव मुख्य वन संरक्षक, बिलासपर वृत्त द्वारा संदर्भित पत्र–3 के माध्यम से प्रकरण में वैकल्पिक वृक्षारोपण हेतु प्रस्तावित नारंगी क्षेत्र को भारतीय वन अधिनियम 1927 की धारा 4 के अंतर्गत अधिसूचित किये जाने हेतु प्रेषित संशोधित अधिसूचना प्रस्ताव का अनुमोदन पश्चात हिन्दी एवं अंग्रेजी में 02 प्रतियों में मूलतः संलग्न प्रेषित है।

संलग्नः अधिसूचना प्रस्ताव 02 प्रतियों में
मय सी.डी

अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक
(भू–प्र/व (सं. एवं सं.) अ)
छत्तीसगढ़

364 - Letter Vividh 2024.doc

CamScanner

पृ. क्र0/भू–प्रबंध/विविध/115–726/ 2618 नया रायपुर, दिनांक 11/11/2024

प्रतिलिपि सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु:

1. मुख्य वन संरक्षक, बिलासपुर वृत्त, बिलासपुर, छत्तीसगढ़ ।
2. **वनमंडलाधिकारी,** धरमजयगढ़ एवं कोरबा वन मंडल, छत्तीसगढ़ ।
3. **वनमंडलाधिकारी,** कटघोरा वन मंडल, कटघोरा छत्तीसगढ़ ।
4. **Chief Operation Officer,** C.G. East Railway Ltd. 2nd Floor CSIDC Commercial Complex Mahadev Ghat Road Raipur, Chhattisgarh.

अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक
(भू–प्र/व (सं. एवं सं.) अ)
छत्तीसगढ़

CamScanner

कार्यालय मुख्य वनसंरक्षक बिलासपुर वृत्त, बिलासपुर (छ.ग.)

सिंधी कॉलोनी, जरहाभाठा, बिलासपुर (छ.ग.) पिन कोड–495001

फोन : 07752–227624, फैक्स : 07752–221385 E-mail : ccf.bilaspur-cg@gov.in

क्रमांक/तक./ 2725 बिलासपुर, दिनांक 21.10.24

प्रति,

अपर प्रधान मुख्य वनसंरक्षक

(भू–प्रबंध)

अरण्य भवन, अटल नगर, नवा रायपुर (छ.ग.)

विषय :– Diversion of Forest land for non-forest purpose under Forest Conservation Act,1980 Proposed for East Rail Corridor Project Construction of New BG electrified line from Urga to Dharamjaigarh from Km 0 to Km 62 in Korba and Raigarh district in Chhattisgarh, area- 157.035 ha. Regarding.

संदर्भ :– वनमण्डलाधिकारी कटघोरा का पत्र क्र./तक./5768 दिनांक 30.09.2024

विषयांतर्गत आवेदक छत्तीसगढ़ ईस्ट रेल्वे लिमिटेड द्वारा छत्तीसगढ़ ईस्ट रेल कारिडोर परियोजना अन्तर्गत उरगा से धरमजयगढ़ तक लगभग 62 कि.मी. रेल लाईन निर्माण करने हेतु आवेदित धरमजयगढ़ वनमण्डल अंतर्गत 97.667 हे. (राजस्व वन भूमि 51.494 हे., एवं आरक्षित संरक्षित वन 46.173 हे.) तथा कोरबा वनमण्डल अंतर्गत 59.368 हे. (राजस्व वन भूमि 35.885 हे., आरेन्ज एरिया 16.242 हे. एवं आरक्षित संरक्षित 7.241 हे.) कुल 157.035 हे. वन भूमि के गैर वानिकी कार्य हेतु वन संरक्षण अधिनियम, 1980 अन्तर्गत व्यपवर्तन प्रस्ताव में क्षतिपूर्ति वृक्षारोपण हेतु प्रस्तावित नारंगी वनक्षेत्र का संशोधित अधिसूचना प्रस्ताव प्रथम चरण स्वीकृति के शर्त क्रमांक ii(a) के पालन में प्रेषित किया गया है, अतः अधिसूचना प्रस्ताव अवलोकनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु संप्रेषित है।

संलग्न – उपरोक्तानुसार ।

मुख्य वनसंरक्षक

बिलासपुर वृत्त, बिलासपुर

पृ. क्र./तक./ 2726 /2024/बिलासपुर, दिनांक – 21.10.24

प्रतिलिपि :–

1. वनमण्डलाधिकारी कटघोरा वनमण्डल, कटघोरा की ओर सूचनार्थ ।
2. Chief Operating Officer C.G. East Railway Ltd. 2nd Floor, CSIDC Commercial Complex Mahadev Ghat Road Raipur (C.G.) की ओर सूचनार्थ ।

मुख्य वनसंरक्षक

बिलासपुर वृत्त, बिलासपुर

CamScanner

कार्यालय वन मण्डलाधिकारी कटघोरा वनमण्डल कटघोरा, जिला – कोरबा (छ.ग.)
Phone/Fax No.: 07815-250157, mail : dfo-katghora.cg@gov.in

क्रमांक / तक.अधि. / 2024 / 5768

कटघोरा, दिनांक 30.09.2024

प्रति,

मुख्य वन संरक्षक
बिलासपुर वृत्त,
बिलासपुर (छ.ग.)

संशोधित

विषय : Diversion of 157.035 ha. Forest land under Forest Conservation Act, 1980 Proposed for Construction of New BG electrified line from Urga to Dharmjaygarh From Km 0 to 62 in Korba and Raigarh District in Chhattisgarh-reg.

संदर्भ : 1. अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक (भू–प्रबंध) रायपुर का पृ. क्र. / भू–प्रबंध) / विविध / 115–726 / 1971 दिनांक 07.08.2024

—— ::000:: ——

उपरोक्त संदर्भित विषयांतर्गत निवेदन है कि छ.ग. शासन, वन एवं जलवायु परिवर्तन विभाग, मंत्रालय, महानदी भवन, नया रायपुर द्वारा छ.ग. ईस्ट रेल कॉरीडोर लिमि. उरगा से धरमजयगढ़ न्यू बी.जी. इलेक्ट्रीफाई लाईन निर्माण कार्य रकबा 157.035 हे. के एवज में क्षतिपूर्ति वृक्षारोपण हेतु प्रस्तावित नारंगी वन क्षेत्र का अधिसूचंना प्रस्ताव संदर्भित पत्र क्र. 01 के माध्यम से चाही गई है।

अतः संदर्भित पत्र में चाही गई जानकारी संशोधित कर दम्हामुड़ा के खसरा नं. 263 / 1 को सुधार कर 293 / 1 अंकित किया गया है एवं ग्राम छिंदिया परिक्षेत्र केंदई कक्ष क्रमांक ओ.ए. 687 खसरा नं. 72 रकबा 28.000 हे. को संशोधित कर अधिसूचना प्रस्ताव में कलेक्टर कोरबा तथा अनुविभागीय अधिकारी पोंड़ी उपरोड़ा के द्वारा अनापत्ति प्रमाण पत्र में संशोधित कर 72 के स्थान पर खसरा न. 721 रकबा 28.000 हे. सुधार कर सम्मिलित किया गया है। अधिसूंचना प्रस्ताव वन परिक्षेत्र केंदई अंतर्गत कक्ष क्र. OA716 में 92.105 हे., OA 687 में 171.500 हे.एवं OA 721 में 82.605 हे. कुल रकबा 346.210 हे. का संशोधित अधिसूचना प्रस्ताव तैयार कर आपकी ओर आवश्यक कार्यवाही हेतु सादर संप्रेषित है।

संलग्न : उपरोक्तानुसार।

वन मण्डलाधिकारी
कटघोरा वनमण्डल कटघोरा

पृ. क्रमांक / तक.अधि. / 2024 / 5769

कटघोरा, दिनांक 30.09.2024

प्रतिलिपि :

1. अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक (भू–प्रबंध) अटल नगर रायपुर की ओर सूचनार्थ संप्रषित।
2. वनमंडलाधिकारी कोरबा वनमंडल कोरबा की ओर सूचनार्थ प्रेषित।
3. मुख्य कार्यपरिचालन अधिकारी सी.एस.आर.एल / सी.इ.डब्लु.आर.एल सी.एस.आई.डी.सी. भवन, महादेव घाट रोड रायपुर छत्तीसगढ़ की ओर सूचनार्थ प्रेषित।

वन मण्डलाधिकारी
कटघोरा वनमण्डल कटघोरा

त० अ०

मुख्य वन संरक्षक
बिलासपुर वृत्त, बिलासपुर (छ.ग.)
01/10/2024

कार्यालय मुख्य वन संरक्षक
क्रमांक 9462
दिनांक 03/10/24
बिलासपुर वृत्त बिलासपुर (छ.ग.)

T.O. 2024-25

छत्तीसगढ़ शासन
वन विभाग
मंत्रालय, महानदी भवन, अटल नगर, रायपुर
— — अधिसूचना — —

अटल नगर, दिनांक ....

क्रमांक .... भारतीय वन अधिनियम 1927 (1927 का 16) की धारा (4) की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग में लाते हुए, राज्य सरकार एतद् द्वारा, घोषित करती हैं, कि इसका गठन करने का निर्णय लिया गया है। नीचे उल्लेखित अनुसूची के क्रमशः कॉलम (4) और (5) में दर्शाए अनुसार खसरा संख्या और क्षेत्र के साथ निम्नलिखित भूमि और उक्त अनुसूची के कॉलम (6) में यथ विनिर्दिष्ट अवस्थिति एवं सीमाओं के भीतर आरक्षित वन के रूप में और उप को नियुक्त करता है। अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) पोंड़ी उपरोड़ा उप प्रभाग उक्त सूची में शामिल किसी भी भूमि पर या उस पर किसी व्यक्ति के पक्ष में कथित अधिकारों के अस्तित्व प्रकृति और सीमा की जांच करने और निर्धारित करने के लिए वन बंदोबस्त अधिकारी के रूप में कार्य करेगा। किसी भी वन उपज में या उस पर उक्त अधिनियम के अध्याय II के प्रावधानों के अनुसार व्यवहार करना अर्थात् :—

अनुसूची

जिला — कोरबा, तहसील — पोंड़ी उपरोड़ा, वनमण्डल — कटघोरा, परिक्षेत्र — केंदई

अ.क्रं.	वन खण्ड का नाम	पटवारी हल्का नम्बर एवं राजस्व ग्राम जहां वनखण्ड स्थित हैं	खसरा नं.	क्षेत्रफल (हे.में)	अवस्थिति तथा सीमाएं
1	2	3	4	5	6
1	धोबापखना — ब	कोयलार गडरा	मसाहती	92.105	उत्तर — कृत्रिम सीमा रेखा सर्वे मु.क. 5 से 15 तक। पूर्व — कृत्रिम सीमा रेखा सर्वे मु.क. 15 से 26 तक। दक्षिण — कृत्रिम सीमा रेखा सर्वे मु.क. 26 से 30 तक। पश्चिम — कृत्रिम सीमा रेखा सर्वे मु.क. 30 से 01 एवं 1 से 5 तक ।
		योग	01	92.105	
2	छिंदिया — ब	04 छिंदिया 04 दमहामुड़ा	446/1 721 50/1 271/1 293/1	5.500 28.000 70.500 50.000 17.500	उत्तर — कृत्रिम सीमा रेखा सर्वे मु.क. 1 से 33 तक पूर्व — कृत्रिम सीमा रेखा सर्वे मु.क. 33 से 45 तक दक्षिण — कृत्रिम सीमा रेखा सर्वे मु.क. 45 से 63 तक। पश्चिम — कृत्रिम सीमा रेखा सर्वे मु.क. 63 एवं 73 एवं 73 से 1 तक
		योग	05	171.500	

CamScanner

3	छुहीगडई	03 छुहीगडई	138/1क 102/1क 113/1	75.200 5.500 1.905	उत्तर – कृत्रिम सीमा रेखा सर्वे मु.क. 1 से 2 तक। पूर्व – कृत्रिम सीमा रेखा सर्वे मु.क. 2 से 38 तक। दक्षिण – कृत्रिम सीमा रेखा सर्वे मु.क. 38 से 59 तक। पश्चिम – कृत्रिम सीमा रेखा सर्वे मु.क. 59 से 73 एवं 73 से 1 तक।
		योग	03	82.605	
		महायोग	**09**	**346.210**	

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से
तथा आदेशानुसार

क्रमांक .... भारत के संविधान के अनुच्छेत 348 के खण्ड (3) के अनुसरण में वन विभाग की अधिसूचना क्रमांक .... दिनांक ....का अंग्रेजी अनुवाद राज्यपाल के प्राधिकार से एतद् द्वारा प्रकाशित किया जाता हैं।

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से
तथा आदेशानुसार

वनमण्डलाधिकारी
कटघोरा वनमण्डल कटघोरा

मुख्य वनसंरक्षक
बिलासपुर वृत्त, बिलासपुर

अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक (भू-प्रबंध)
एवं
नोडल अधिकारी वन संरक्षण अधिनियम
छत्तीसगढ़, अटल नगर, रायपुर

Govt. of Chhattisgarh,
Forest Department,
Mantralaya, Mahanadi Bhawan, New Raipur

NOTIFICATION

Naya Raipur Dated : /...../.........

No. .... : In exercise of the power conferred by sub-section (1) of Section 4 of the Indian Forest Act, 1927 (No. 16 of 1927), the State Government hereby declares that it has been decided to constitute the following land with khasra number and area as shown in column (4) and (5) respectively of the Schedule mentioned below and within such situation and limits as specified in column (6) of the said Schedule as Reserved Forest and, appoints the Sub Divisional Officer (Revenue), Podi Uproda Sub Division to act as the Forest Settlement-Officer to inquire into and determine the existence, nature and extent of rights alleged to exist in favour of any person in or over any land comprised in the said Schedule or in or over any forest-produce and to deal with the same in accordance with the provisions of Chapter II of the said Act, namely :-

SCHEDULE

District - Korba
Tahshil - Podi Uproda

Division - Katghora
Range - Kendai

S.No.	Name of Forest Block	Patwari Halka No.and Revenue Village, where Block is situated	Khasra Number	Area (in hectare)	Situation and Limits	
1	2	3	4	5	6	
1	Dhoba pakhana-B	Koylar gadara	Unserved	92.105	North -	Artificial boundary line survey pillar No. 5 to 15.
					East -	Artificial boundary line survey pillar No. 15 to 26.
					South -	Artificial boundary line survey pillar No. 26 to 30.
					West -	Artificial boundary line survey pillar No. 30 to 1 and 1 to 5.
		Total	01	92.105		
2	Chhindiya - B	04 Chhindiya	446/1	5.500	North -	Artificial boundary line survey pillar No. 1 to 33.
			721	28.000	East -	Artificial boundary line survey pillar No. 33 to 45.
		04 Damha muda		70.500	South -	Artificial boundary line survey pillar No. 45 to 63.
			50/1	50.000	West -	Artificial boundary line survey pillar No. 63 to 73 and 73 to 1.

CamScanner

			271/1 293/1	17.500	
		Total	05	171.500	
3	Chhuhi Garai	03 Chhuhi Gadai	138/1K 102/1K 113/1	75.200 5.500 1.905	North - Artificial boundary line survey pillar No. 1 to 2. East - Artificial boundary line survey pillar No. 2 to 38. South - Artificial boundary line survey pillar No. 38 to 59. West - Artificial boundary line survey pillar No. 59 to 73 and 73 to 1.
		Total	03	82.605	
		Grand Total	**09**	**346.210**	

By order and in the name of the
Governor of Chhattisgarh

Divisional Forest Officer
Katghora Division Katghora

Chief Conservator of Forest
Bilaspur circle, Bilaspur

Chief Conservator of Forest
Bilaspur circle, Bilaspur (C.G.)

Addl.PCCF(Land Management)
And
Nodal Officer-Forest Conservation Act
Chhattisgarh, Atal Nagar Raipur

CS CamScanner

कार्यालय कलेक्टर (भू–अभिलेख शाखा) जिला कोरबा (छ0ग0)

//संशोधित अनापत्ति प्रमाण पत्र//

क./1179/ भू.अ./वन अधि./2024 कोरबा दिनांक 18/09/2024

प्रति,

वन मण्डलाधिकारी
कटघोरा
जिला– कोरबा (छ.ग.)

विषय :– **Diversion of 157.035 ha. Forest land under Forest Conservation Act, 1980 Proposed for Construction of New BG electrified line from Urga to Dharmjaygarh From Km 0 to 62 in Korba and Raigarh District in Chhattisgarh - reg.**

संदर्भ :– कार्यालयीन अनापत्ति प्रमाण पत्र कमांक/1125/भू.अ./वन अधि./2023 कोरबा दिनांक 29.09.2023।

---000---

उपरोक्त संदर्भित अनापत्ति पत्र द्वारा मेसर्स ईस्ट वेस्ट रेल कॉरीडोर लिमि. उरगा से धरमजयगढ़ न्यू बी.जी. इलेक्ट्रीफाई लाईन निर्माण कार्य रकबा 157.035 हे. के एवज में क्षतिपूर्ति वृक्षारोपण हेतु भारतीय वन अधिनियम 1927 की धारा 4(1) के अंतर्गत नारंगी वन का अधिसूचना प्रस्ताव हेतु कुल रकबा 318.210 हेक्टयर का जारी किया गया था, जिसमें मांग अनुरूप ग्राम छिंदिया में ख.नं. 72 निजी भूमि होने के कारण प्रस्ताव में शामिल नहीं किया गया है।

आपके पत्र कमांक/तक.अधि./2024/2793 कटघोरा दिनांक 07.08.2024 द्वारा लेख किया गया है कि चयनित भूमि में तहसील पोड़ीउपरोड़ा, ग्राम छिंदिया, परिक्षेत्र केंदई में ख.नं. 72 रकबा 28.000 हे. (कक्ष कमांक ओ.ए. 687 से वाहर है) के स्थान पर 721 रकबा 28.000 हे. पर अनापत्ति प्रदान किये जाने हेतु लेख है।

उक्त संबंध में अनुविभागीय अधिकारी (रा0) पोड़ीउपरोड़ा के पत्र /1289 दिनांक 22.09.2023 तथा पत्र कमांक/2495/अ.वि.अ./वाचक/2024 पोडीउपरोड़ा दिनांक 30.08.2024 द्वारा प्रतिवेदन/अभिमत प्राप्त। जिसके अनुसार, छ.ग. ईस्ट रेल कॉरीडोर लिमि. को उरगा से धरमजयगढ़ न्यू बी.जी. इलेक्ट्रीफाई लाईन निर्माण कार्य रकबा 157.035 हे. के एवज में क्षतिपूर्ति वृक्षारोपण हेतु प्रस्तावित (नारंगी वन) OA721, OA716 एवं OA687 को आरक्षित वन के रूप में अधिसूचित किये जाने हेतु प्रस्तावित भूमि की संशोधित जानकारी निम्नानुसार है–

क	ग्राम का नाम	परिक्षेत्र	कक्ष क	ख.नं.	वृक्षारोपण हेतु प्रस्तावित रकबा	रिमार्क
1	छिंदिया	केन्दई	OA687	446/1	5.500	
2	छिंदिया	केन्दई	OA687	721	28.000	
3	दम्हामुडा	केन्दई	OA687	50/1	70.500	

4	दम्हामुड़ा	केन्दई	OA687	271/1	50.000	
5	दम्हामुड़ा	केन्दई	OA687	293/1	17.500	
6	झिनपुरी(छुही गंडई)	केन्दई	OA721	138/1क	75.200	
7	झिनपुरी(छुही गंडई)	केन्दई	OA721	113/1	1.905	
8	झिनपुरी(छुही गंडई)	केन्दई	OA721	102/1क	5.500	
9	धोबापखना	—	OA716	गसाहती	92.105	
				योग	346.210	

उक्त तालिका अनुसार वन विभाग से प्रस्तुत भूमि पर पौधा रोपण हुआ है। ग्राम छिंदिया दम्हामुड़ा, झिनपुरी, धोबापखना में कुल रकबा 346.210 हेक्टेयर प्रस्तावित भूमि को छ.ग. ईस्ट रेल कॉरीडोर लिमि. को उरगा से धरमजयगढ़ न्यू बी.जी. इलेक्ट्रीफाई लाईन निर्माण कार्य रकबा 157.035 हे. के एवज में क्षतिपूर्ति वृक्षारोपण हेतु अनुमति यदि सक्षम विभाग द्वारा दिया जाता है, तो इस कार्यालय को कोई आपत्ति नहीं है।

संलग्न – उपरोक्तानुसार।

कलेक्टर
कोरबा (छत्तीसगढ़)

पृ. क्रमांक/1180/भू.अ./वन अधि./2024 कोरबा, दिनांक : 18/09/2024

प्रतिलिपि :–

1. सचिव, छत्तीसगढ़ शासन, राजस्व एवं आपदा प्रबंधन विभाग, मंत्रालय, महानदी भवन, नया रायपुर की ओर सादर सूचनार्थ।
2. अनुविभागीय अधिकारी (रा.) पोड़ीउपरोड़ा जिला कोरबा की ओर सूचनार्थ।
3. मुख्य कार्यपरिचालन अधिकारी सी.एस.आर.एल/सी.ई.डब्लु.आर.एल.,सी.एस.आई.डी.सी. भवन, महादेव घाट रोड रायपुर छत्तीसगढ़ की ओर सूचनार्थ।

कलेक्टर
कोरबा (छत्तीसगढ़)

CS CamScanner

कार्यालय प्रधान मुख्य वन संरक्षक एवं वन बल प्रमुख, छत्तीसगढ़

अरण्य भवन, सेक्टर--19, नार्थ ब्लॉक, केपिटल कॉपलेक्स, नया रायपुर, अटल नगर – 492002

(अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक – भू–प्रबंध)

दूरभाष: 0771 – 2512840 ई – मेल: apccf-lm.cg@gov.in

क्र0/भू–प्रबंध/विविध/115–726/1971 नवा रायपुर, दिनांक 27/08/2024

प्रति,

वन मंडलाधिकारी
धरमजयगढ़ वन मंडल, धरमजयगढ़ (नोडल)
छत्तीसगढ़

विषय :– **Diversion of 157.035 ha. of forest land under Forest Conservation Act, 1980 proposed for Construction of New BG electrified line from Urga to Dharamjaygarh from Km 0 to Km 62 in Korba and Raigarh District in Chhattisgarh-reg.**
पंजीयन क्रमांक – FP/ CG/RAIL/32194/2018

संदर्भ:–
1. छत्तीसगढ़ शासन, वन एवं जलवायु परिवर्तन विभाग का पत्र क्रमांक / एफ 5–01/ 2022/ 10–2 दिनांक 06.06.2024
2. मुख्य वन संरक्षक, बिलासपुर वृत्त का पत्र कमांक/तक./1990 दिनांक 19.07.2024

–0–

विषयांतर्गत संदर्भित पत्रों का अवलोकन करें।

छत्तीसगढ़ शासन, वन एवं जलवायु परिवर्तन विभाग के संदर्भित पत्र के अनुकम में अधिसूचना प्रस्ताव में कलेक्टर जिला–कोरबा द्वारा दिनांक 29.09.2023 द्वारा दी गई अनापत्ति प्रमाण पत्र में ग्राम छिंदिया परिक्षेत्र केन्दई कक्ष क्रमांक ओ.ए. 687, खसरा नं. 72 रकबा 28.00 हे. निजी भूमि के वन विभाग के पक्ष में नामांतरण किये जाने संबंधित अभिलेख उपलब्ध कराने हेतु कार्यालयीन पत्र दिनांक 12.06.2024 द्वारा लेख किया गया था जो अप्राप्त है।

संदर्भित पत्र–2 द्वारा प्रेषित छिंदिया परिक्षेत्र केन्दई कक्ष क्रमांक ओ.ए. 687, में खसरा कमांक 72 है तथा कलेक्टर जिला कोरबा द्वारा दी गई अनापत्ति दिनांक 04.09.2023 में 72/1 अंकित है। अतः स्पष्ट करे कि उक्त खसरा का कमांक 72 है या 72/1 अथवा 721 है।

अतः उपरोक्तानुसार निजी भूमि के नामांतरण संबंधी अभिलेख / दस्तावेज अथवा संशोधित जिला कलेक्टर का अनापत्ति प्रमाण पत्र अनुसार अधिसूचना प्रस्ताव प्रेषित करे। संदर्भ पत्र–2 मय संलग्नक मूलतः प्रेषित है।

संलग्नः उपरोक्तानुसार

अ.प्र.मु.व.स (भू – प्रबंध / वन (सं एवं सं. अ)
छत्तीसगढ़

पृ. क्रमांक/भू–प्रबंध/विविध/115–726/1972 नवा रायपुर, दिनांक 27/08/2024

प्रतिलिपि सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतुः

1. **मुख्य वन संरक्षक**, बिलासपुर वृत्त, बिलासपुर, छत्तीसगढ़।
2. **वनमंडलाधिकारी**, कोरबा / कटघोरा वन मंडल, छत्तीसगढ़।
3. **Chief Operation Officer,** C.G. East Railway Ltd. 2nd Floor CSIDC Commercial Complex Mahadev Ghat Road Raipur, Chhattisgarh.

कार्यालय मुख्य वन संरक्षक
क्रमांक 4034
दिनांक 20/08/24

अ.प्र.मु.व.स (भू – प्रबंध / वन (सं एवं सं. अ)
छत्तीसगढ़

मुख्य वन संरक्षक
बिलासपुर वृत्त, बिलासपुर (छ.ग.)
13/8/24

CamScanner

कार्यालय मुख्य वनसंरक्षक बिलासपुर वृत्त, बिलासपुर (छ.ग.)
सिंधी कॉलोनी, जरहाभाठा, बिलासपुर (छ.ग.) पिन कोड–495001
फोन : 07752–227624, फैक्स : 07752–221385 E-mail : ccf.bilaspur-cg@gov.in

क्रमांक/तक./ 1990 बिलासपुर, दिनांक 19.7.24

प्रति,

अपर प्रधान मुख्य वनसंरक्षक
(भू–प्रबंध)
अरण्य भवन, अटल नगर, नवा रायपुर (छ.ग.)

विषय :– Diversion of Forest land for non-forest purpose under Forest Conservation Act,1980 Proposed for East Rail Corridor Project Construction of New BG electrified line from Urga to Dharamjaigarh from Km 0 to Km 62 in Korba and Raigarh district in Chhattisgarh, area-157.035 ha. Regarding.

संदर्भ :– आपका पत्र क्र./भू–प्रबंध/विविध/1416, दिनांक 12.06.2024 एवं व.म.अ. कटघोरा का पत्र क्र./तक./2649 दिनांक 18.07.2024

विषयांतर्गत आवेदक छत्तीसगढ़ ईस्ट रेल्वे लिमिटेड द्वारा छत्तीसगढ़ ईस्ट रेल कारिडोर परियोजना अन्तर्गत उरगा से धरमजयगढ़ तक लगभग 62 कि.मी. रेल लाईन निर्माण करने हेतु आवेदित धरमजयगढ़ वनमण्डल अंतर्गत 97.667 हे. (राजस्व वन भूमि 51.494 हे., एवं संरक्षित वन 46.173 हे.) तथा कोरबा वनमण्डल अंतर्गत 59.368 हे. (राजस्व वन भूमि 35.885 हे., आरेन्ज एरिया 16.242 हे. एवं संरक्षित 7.241 हे.) कुल 157.035 हे. वन भूमि के गैर वानिकी कार्य हेतु वन संरक्षण अधिनियम, 1980 अन्तर्गत व्यपवर्तन प्रस्ताव में क्षतिपूर्ति वृक्षारोपण हेतु प्रस्तावित नारंगी वनक्षेत्र का अधिसूचना प्रस्ताव प्रथम चरण स्वीकृति के शर्त क्रमांक ii(a) के पालन में प्रेषित किया गया है, अधिसूचना प्रस्ताव में पायी गई कमियों की पूर्ति कर संशोधित अधिसूचना प्रस्ताव अवलोकनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु संप्रेषित है।

संलग्न – उपरोक्तानुसार ।

मुख्य वनसंरक्षक
बिलासपुर वृत्त, बिलासपुर

पृ. क्र./तक./ 1991 /2024/बिलासपुर, दिनांक – 19.7.24

प्रतिलिपि :–

1. वनमण्डलाधिकारी कटघोरा वनमण्डल, कटघोरा की ओर सूचनार्थ ।
2. Chief Operating Officer C.G. East Railway Ltd. 2nd Floor, CSIDC Commercial Complex Mahadev Ghat Road Raipur (C.G.) की ओर सूचनार्थ ।

मुख्य वनसंरक्षक
बिलासपुर वृत्त, बिलासपुर

पर प्रधान मुख्य वन संरक्षक (भू-प्रबंध)
छत्तीसगढ़, रायपुर

D:\MEMO-2024.docx

अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक (भू-प्रबंध)
नवा रायपुर, छत्तीसगढ़
आवक क्रं – 3266
29/07/24

Pg. 222

कार्यालय वन मण्डलाधिकारी कटघोरा वनमण्डल कटघोरा, जिला - कोरबा (छ.ग.)
Phone/Fax No.: 07815-250157, mail : dfo-katghora.cg@gov.in

क्रमांक/तक.अधि./2024/2649 कटघोरा, दिनांक 18.07.202

प्रति,

मुख्य वन संरक्षक
बिलासपुर वृत्त,
बिलासपुर (छ.ग.)

संशोधित

विषय : Diversion of 157.035 ha. Forest land under Forest Conservation Act, 1980 Proposed for Construction of New BG electrified line from Urga to Dharmjaygarh From Km 0 to 62 in Korba and Raigarh District in Chhattisgarh-reg.

संदर्भ : 1. अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक (भू-प्रबंध) रायपुर का पृ. क्र./भू-प्रबंध)/विविध/115-726/1417 दिनांक 12.06.2024
2. वनमंडलाधिकारी कोरबा वनमंडल कोरबा का पत्र क्र./4467 दिनांक 18.07.2024

——— ::000:: ———

उपरोक्त संदर्भित विषयांतर्गत निवेदन है कि छ.ग. शासन, वन एवं जलवायु परिवर्तन विभाग, मंत्रालय, महानदी भवन, नया रायपुर द्वारा छ.ग. ईस्ट रेल कॉरीडोर लिमि. उरगा से धरमजयगढ़ न्यू बी.जी. इलेक्ट्रीफाई लाईन निर्माण कार्य रकबा 157.035 हे. के एवज में क्षतिपूर्ति वृक्षारोपण हेतु प्रस्तावित नारंगी वन क्षेत्र का अधिसूचना प्रस्ताव संदर्भित पत्र क्र. 01 के माध्यम से चाही गई है।

अतः संदर्भित पत्र में चाही गई जानकारी संशोधित कर दम्हामुड़ा के खसरा नं. 263/1 को सुधार कर 293/1 अंकित किया गया है एवं ग्राम छिंदिया परिक्षेत्र केंदई कक्ष क्रमांक ओ.ए. 687 खसरा नं. 72 रकबा 28.000 हे. निजी भूमि को अधिसूचना प्रस्ताव में कलेक्टर कोरबा तथा अनुविभागीय अधिकारी पोंडी उपरोड़ा के द्वारा अनापत्ति प्रमाण पत्र में सम्मिलित नही किया गया है इस कारण कक्ष क्रमांक ओ.ए. 687 खसरा नं. 72 रकबा 28.000 हे. निजी भूमि को छोड़कर संशोधित अधिसूचना प्रस्ताव वन परिक्षेत्र केंदई अंतर्गत कक्ष क्र. OA 687 में 143.500 हे., OA716 में 92.105 हे. एवं OA 721 में 82.605 हे. कुल रकबा 318.210 हे. का अधिसूचना तैयार कर आपकी ओर आवश्यक कार्यवाही हेतु सादर संप्रेषित है।

संलग्न : उपरोक्तानुसार।

वन मण्डलाधिकारी
कटघोरा वनमण्डल कटघोरा

पृ. क्रमांक/तक.अधि./2024/2650 कटघोरा, दिनांक 18-07-202

प्रतिलिपि :

1. अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक (भू-प्रबंध) अटल नगर रायपुर की ओर सूचनार्थ संप्रेषित।
2. वनमंडलाधिकारी कोरबा वनमंडल कोरबा की ओर सूचनार्थ प्रेषित।
3. मुख्य कार्यपरिचालन अधिकारी सी.एस.आर.एल/सी.इ.डब्लु.आर.एल., सी.एस.आई.डी.सी भवन, महादेव घाट रोड रायपुर छत्तीसगढ़ की ओर सूचनार्थ प्रेषित।

वन मण्डलाधिकारी
कटघोरा वनमण्डल कटघोरा

पर प्रधान मुख्य वन संरक्षक (भू-प्रबंध)
छत्तीसगढ़, रायपुर

T.O. 2024-25

अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक (भू-प्रबंध)
नवा रायपुर, छत्तीसगढ़ 387
आवक क्र. 3284
29/07/24

CamScanner

छत्तीसगढ़ शासन
वन विभाग
मंत्रालय, महानदी भवन, अटल नगर, रायपुर
— — अधिसूचना — —

अटल नगर, दिनांक ....

क्रमांक .... भारतीय वन अधिनियम 1927 (1927 का 16) की धारा (4) की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग में लाते हुए, राज्य सरकार एतद् द्वारा, घोषित करती है, कि इसका गठन करने का निर्णय लिया गया है। नीचे उल्लेखित अनुसूची के क्रमशः कॉलम (4) और (5) में दर्शाए अनुसार खसरा संख्या और क्षेत्र के साथ निम्नलिखित भूमि और उक्त अनुसूची के कॉलम (6) में यथ विनिर्दिष्ट अवस्थिति एवं सीमाओं के भीतर आरक्षित वन के रूप में और उप को नियुक्त करता है। अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) पोंड़ी उपरोड़ा उप प्रभाग उक्त सूची में शामिल किसी भी भूमि पर या उस पर किसी व्यक्ति के पक्ष में कथित अधिकारो के अस्तित्व प्रकृति और सीमा की जांच करने और निर्धारित करने के लिए वन बंदोबस्त अधिकारी के रूप में कार्य करेगा। किसी भी वन उपज में या उस पर उक्त अधिनियम के अध्याय II के प्रावधानों के अनुसार व्यवहार करना अर्थात् :—

अनुसूची

जिला — कोरबा, तहसील — पोंड़ी उपरोड़ा, वनमण्डल — कटघोरा, परिक्षेत्र — केंदई

अ.क्रं.	वन खण्ड का नाम	पटवारी हल्का नम्बर एवं राजस्व ग्राम जहां वनखण्ड स्थित है	खसरा नं.	क्षेत्रफल (हे.में)	अवस्थिति तथा सीमाएं
1	2	3	4	5	6
1	धोबापखना — बं	कोयलार गडरा	मसाहती	92.105	उत्तर — कृत्रिम सीमा रेखा सर्वे मु.क. 5 से 15 तक। पूर्व — कृत्रिम सीमा रेखा सर्वे मु.क. 15 से 26 तक। दक्षिण — कृत्रिम सीमा रेखा सर्वे मु.क. 26 से 30 तक। पश्चिम — कृत्रिम सीमा रेखा सर्वे मु.क. 30 से 01 एवं 1 से 5 तक।
		योग	01	92.105	
2	छिंदिया — ब	04 छिंदिया	446/1	5.500	उत्तर — कृत्रिम सीमा रेखा सर्वे मु.क. 1 से 33 तक पूर्व — कृत्रिम सीमा रेखा सर्वे मु.क. 33 से 45 तक दक्षिण — कृत्रिम सीमा रेखा सर्वे मु.क. 45 से 63 तक। पश्चिम — कृत्रिम सीमा रेखा सर्वे मु.क. 63 एवं 73 एव 73 से 1 तक
		04 दमहामुड़ा	50/1 271/1 293/1	70.500 50.000 17.500	
		योग	04	143.500	

CamScanner

3	छुहीगडई	03 छुहीगडई	138/1क 102/1क 113/1	75.200 5.500 1.905	उत्तर – कृत्रिम सीमा रेखा सर्वे मु.क्र. 1 से 2 तक। पूर्व – कृत्रिम सीमा रेखा सर्वे मु.क्र. 2 से 38 तक। दक्षिण – कृत्रिम सीमा रेखा सर्वे मु.क्र. 38 से 59 तक। पश्चिम – कृत्रिम सीमा रेखा सर्वे मु.क्र. 59 से 73 एवं 73 से 1 तक।
		योग	03	82.605	
		महायोग	**08**	**318.210**	

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से
तथा आदेशानुसार

क्रमांक .... भारत के संविधान के अनुच्छेत 348 के खण्ड (3) के अनुसरण में वन विभाग की अधिसूचना क्रमांक .... दिनांक ....का अंग्रेजी अनुवाद राज्यपाल के प्राधिकार से एतद् द्वारा प्रकाशित किया जाता हैं।

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से
तथा आदेशानुसार

वनमण्डलाधिकारी
कटघोरा वनमण्डल कटघोरा

मुख्य वनसंरक्षक
बिलासपुर वृत्त, बिलासपुर
बिलासपुर वृत्त, बिलासपुर (छ.ग.)

Govt. of Chhattisgarh,
Forest Department,
Mantralaya, Mahanadi Bhawan, New Raipur

NOTIFICATION

Naya Raipur Dated : ..../..../........

No. ....: In exercise of the power conferred by sub-section (1) of Section 4 of the Indian Forest Act, 1927 (No. 16 of 1927), the State Government hereby declares that it has been decided to constitute the following land with khasra number and area as shown in column (4) and (5) respectively of the Schedule mentioned below and within such situation and limits as specified in column (6) of the said Schedule as Reserved Forest and, appoints the Sub Divisional Officer (Revenue), Podi Uproda Sub Division to act as the Forest Settlement-Officer to inquire into and determine the existence, nature and extent of rights alleged to exist in favour of any person in or over any land comprised in the said Schedule or in or over any forest-produce and to deal with the same in accordance with the provisions of Chapter II of the said Act, namely :-

SCHEDULE

District - Korba
Tahshil - Podi Uproda

Division - Katghora
Range - Kendai

S.No.	Name of Forest Block	Patwari Halka No.and Revenue Village, where Block is situated	Khasra Number	Area (in hectare)	Situation and Limits	
1	2	3	4	5	6	
1	Dhoba pakhana-B	Koylar gadara	Unserved	92.105	North -	Artificial boundary line survey pillar No. 5 to 15.
					East -	Artificial boundary line survey pillar No. 15 to 26.
					South -	Artificial boundary line survey pillar No. 26 to 30.
					West -	Artificial boundary line survey pillar No. 30 to 1 and 1 to 5.
		Total	01	92.105		
2	Chhindiya - B	04 Chhindiya	446/1	5.500	North -	Artificial boundary line survey pillar No. 1 to 33.
					East -	Artificial boundary line survey pillar No. 33 to 45.
		04 Damha muda	50/1	70.500	South -	Artificial boundary line survey pillar No. 45 to 63.
			271/1	50.000	West -	Artificial boundary line survey pillar No. 63 to 73 and 73 to 1.

CamScanner

			293/1	17.500		
		Total	04	143.500		
3	Chhuhi Garai	03 Chhuhi Gadai	138/1K	75.200	North -	Artificial boundary line survey pillar No. 1 to 2.
			102/1K	5.500	East -	Artificial boundary line survey pillar No. 2 to 38.
			113/1		South -	Artificial boundary line survey pillar No. 38 to 59.
				1.905	West -	Artificial boundary line survey pillar No. 59 to 73 and 73 to 1.
		Total	03	82.605		
		Grand Total	**08**	**318.210**		

By order and in the name of the
Governor of Chhattisgarh

Divisional Forest Officer
Katghora Division Katghora

Chief Conservator of Forest
Bilaspur circle, Bilaspur (C.G.)

कार्यालय कलेक्टर (भू–अभिलेख शाखा) जिला कोरबा,छ0ग0

// अनापत्ति प्रमाण पत्र//

क्र./1125/ भू.अ./वन अधि./2023 कोरबा दिनांक 25/09/2023

प्रति,

वन मण्डलाधिकारी
कटघोरा
जिला– कोरबा (छ.ग.)

विषय :– **Diversion of 157.035 hact. Forest land under Forest conservation Act 1980 proposed for constrution of new BG electrified line form Urga Dharmjaygarh from km 0 to 62 in Korba and Raigarh district in Chhattisgarh.**

संदर्भ :– वन मण्डलाधिकारी कटघोरा, जिला कोरबा का पत्र कमांक/तक.अधि./2023/7644 कटघोरा दिनांक 28.08.2023।

——000——

विषयान्तर्गत संदर्भित पत्र के द्वारा छ.ग. ईस्ट रेल कॉरीडोर लिमि. को उरगा से धरमजयगढ़ न्यू बी.जी. इलेक्ट्रीफाई लाईन निर्माण कार्य रकबा 157.035 हे. के एवज में क्षतिपूर्ति वृक्षारोपण हेतु चयनित रकबा 346.210 हे. पर भारतीय वन अधिनियम 1927 की धारा 4(1) के अंतर्गत नारंगी वन का अनापत्ति प्रमाण पत्र प्रदाय करने हेतु लेख किया गया है, ताकि शासन की अधिसूचना प्रस्ताव प्रेषित की जा सके।

उक्त संबंध में अनुविभागीय अधिकारी (रा0) पोडीउपरोडा के पत्र /1289 दिनांक 22.09.2023 के द्वारा प्रतिवेदन/अभिमत दिया गया है। जिसके अनुसार, छ.ग. ईस्ट रेल कॉरीडोर लिमि. को उरगा से धरमजयगढ़ न्यू बी.जी. इलेक्ट्रीफाई लाईन निर्माण कार्य रकबा 157.035 हे. के एवज में क्षतिपूर्ति वृक्षारोपण हेतु प्रस्तावित (नारंगी वन) OA721, OA716 एवं OA687 को आरक्षित वन के रूप में अधिसूचित किये जाने हेतु प्रस्तावित भूमि की जानकारी निम्नानुसार है–

क	ग्राम का नाम	परिक्षेत्र	कक्ष क	ख.न.	वन विभाग से प्रस्तुत रकबा	प्रस्तावित रकबा	रिमार्क
1	छिंदिया	केन्दई	OA687	446/1	5.500	5.500	
2	छिंदिया	केन्दई	OA687	72	28.000	–	निजी भूमि
3	दम्हामुड़ा	केन्दई	OA687	50/1	70.500	70.500	
4	दम्हामुड़ा	केन्दई	OA687	271/1	50.000	50.000	
5	दम्हामुड़ा	केन्दई	OA687	293/1	17.500	17.500	
6	झिनपुरी(छुही गंडई)	केन्दई	OA721	138/1क	75.200	75.200	
7	झिनपुरी(छुही गंडई)	केन्दई	OA721	113/1	1.905	1.905	
8	झिनपुरी(छुही गंडई)	केन्दई	OA721	102/1क	5.500	5.500	
9	धोबापखना	–	OA716	मसाहती	92.105	92.105	
				योग	346.210	318.210	

3614
25.9.23

//2//

छत्तीसगढ़ शासन
वन एवं जलवायु परिवर्तन विभाग
मंत्रालय,
महानदी भवन, नवा रायपुर, अटल नगर

क्रमांक / एफ 5-01 / 2020 / 10-2 नवा रायपुर, अटल नगर, दिनांक 28/02/2025

प्रति,

वनमहानिरीक्षक,
भारत सरकार,
पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय,
उप कार्यालय, अरण्य भवन,
नवा रायपुर, अटल नगर,
छत्तीसगढ़ - 492015 ।

विषयः- Diversion of 157.035 ha of forest land under Forest ConservationAct,1980 proposed for construction of New BG electrified line from Urga to Dharamjaygarh from Km 0 to Km 62 in Korba and Raigarh District in the state of Chhattisgarh.

संदर्भः-1. भारत सरकार, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, उप कार्यालय, रायपुर का पत्र क्रमांक FC-III/IROCH-05/2022/14, दिनांक 17.04.2024 ।

2. अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक (भू-प्रबंध) का पत्र क्रमांक / भू-प्रबंध / विविध / 115-726 / 2617, दिनांक 11.11.2024 ।

-----00-----

विषयांकित प्रकरण में भारत सरकार, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, उप कार्यालय, रायपुर द्वारा संदर्भित पत्र क्र. 1 दिनांक 17.04.2024 के माध्यम से अंतिम चरण स्वीकृति के पूर्व अधिसूचना की प्रति चाही गई है।

2/- अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक (भू-प्रबंध) द्वारा संदर्भित पत्र क्र. 2 के माध्यम से भारत सरकार द्वारा वांछित उक्त अधिसूचना प्रस्ताव प्रेषित किया गया था, जिसे छत्तीसगढ़ राजपत्र (असाधारण) दिनांक 20.02.2025 (छायाप्रति संलग्न) को प्रकाशित किया जा चुका है, जिसकी छायाप्रति समस्त संलग्नकों सहित उचित कार्यवाही हेतु संलग्न प्रेषित है।

संलग्न :- उपरोक्तानुसार (03 पृष्ठीय)।

(डी.आर.सोन्टापर)
अवर सचिव
छत्तीसगढ शासन,
वन एवं जलवायु परिवर्तन विभाग

पृष्ठां.क्रमांक / एफ 5-01 / 2020 / 10-2 नवा रायपुर, अटल नगर, दिनांक 28/02/2025

प्रतिलिपि :-

1. प्रधान मुख्य वन संरक्षक एवं वन बल प्रमुख, छत्तीसगढ़ अरण्य भवन, सेक्टर-19, नार्थ ब्लॉक, नवा रायपुर, अटल नगर, छत्तीसगढ़।
2. प्रधान मुख्य वन संरक्षक (वन्यप्राणी), अरण्य भवन, सेक्टर-19, नार्थ ब्लॉक, नवा रायपुर, अटल नगर, छत्तीसगढ़।
3. प्रधान मुख्य वन संरक्षक (कार्य आयोजना), अरण्य भवन, सेक्टर-19, नार्थ ब्लॉक, नवा रायपुर, अटल नगर, छत्तीसगढ़ की ओर उक्त अधिसूचना की छायाप्रति (03 पृष्ठीय) संलग्न कर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु अग्रेषित।
4. अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक (भू-प्रबंध), कार्यालय, प्रधान मुख्य वन संरक्षक एवं वन बल प्रमुख, अरण्य भवन, सेक्टर-19, नार्थ ब्लॉक, नवा रायपुर, अटल नगर, छत्तीसगढ़।
5. मुख्य वन संरक्षक, बिलासपुर वृत्त, बिलासपुर, छत्तीसगढ़।
6. वनमंडलाधिकारी धरमजयगढ़ / कोरबा वनमंडल, छत्तीसगढ़।
7. मुख्य कार्यपरिचालन अधिकारी, छत्तीसगढ ईस्ट रेलवे लिमिटेड, छत्तीसगढ़।

की ओर सूचनार्थ अग्रेषित।

अवर सचिव
छत्तीसगढ शासन,
वन एवं जलवायु परिवर्तन विभाग

D/FCA/ Letter-N/Lalit

"बिजनेस पोस्ट के अन्तर्गत डाक शुल्क के नगद भुगतान (बिना डाक टिकट) के प्रेषण हेतु अनुमत. क्रमांक जी.2-22-छत्तीसगढ़ गजट / 38 सि. से. भिलाई. दिनांक 30-05-2001."

पंजीयन क्रमांक "छत्तीसगढ़/दुर्ग/09/2013-2015."

छत्तीसगढ़ राजपत्र

(असाधारण)
प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 124] नवा रायपुर, गुरूवार, दिनांक 20 फरवरी 2025 — फाल्गुन 1, शक 1946

वन एवं जलवायु परिवर्तन विभाग
मंत्रालय, महानदी भवन, नवा रायपुर अटल नगर

नवा रायपुर अटल नगर, दिनांक 7 फरवरी 2025

अधिसूचना

क्रमांक/एफ 5–01/2022/10–2 (पार्ट).— भारतीय वन अधिनियम, 1927 (1927 का सं. 16) की धारा 4 की उप–धारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, राज्य सरकार, एतद्द्वारा, घोषित करती है कि नीचे उल्लिखित अनुसूची के कॉलम (4) एवं (5) में क्रमशः यथा दर्शित निम्नलिखित खसरा नम्बर एवं क्षेत्र की भूमि को उक्त अनुसूची के कॉलम (6) में यथा विनिर्दिष्ट अवस्थिति एवं सीमाओं के भीतर ''आरक्षित वन'' के रूप में गठित करने का विनिश्चय किया गया है और उक्त अनुसूची में समाविष्ट किसी भूमि में या उस पर अथवा किसी वनोपज में या उस पर किसी व्यक्ति के पक्ष में कथित रूप से विद्यमान किसी अधिकार की विद्यमानता, प्रकृति एवं सीमा की जांच और निर्धारण के लिये तथा उक्त अधिनियम के अध्याय–दो के उपबंधों के अनुसार उसका निराकरण करने के लिये अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व), पोंड़ी उपरोड़ा उप–खण्ड को वन व्यवस्थापन अधिकारी के रूप में कार्य करने हेतु नियुक्त करती है, अर्थात् :–

अनुसूची

जिला–कोरबा, वनमण्डल–कटघोरा, तहसील–पोंड़ी उपरोड़ा, परिक्षेत्र–केंदई

स.क्रं.	वन खण्ड का नाम	पटवारी हल्का नम्बर एवं राजस्व ग्राम का नाम, जहां वनखण्ड स्थित है	खसरा नं.	क्षेत्रफल (हे.में)	अवस्थिति तथा सीमाएं
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1.	धोबापखना – ब	कोयलार गडरा	मसाहती	92.105	उत्तर – कृत्रिम सीमा रेखा सर्वे मुनारा क्र. 5 से 15 तक। पूर्व – कृत्रिम सीमा रेखा सर्वे मुनारा क्र. 15 से 26 तक। दक्षिण – कृत्रिम सीमा रेखा सर्वे मुनारा क्र. 26 से 30 तक। पश्चिम – कृत्रिम सीमा रेखा सर्वे मुनारा क्र. 30 से 1 एवं 1 से 5 तक ।
		योग	01	92.105	

2.	छिंदिया – ब	04 छिंदिया 04 दमहामुड़ा	446 / 1 72 / 1 50 / 1 271 / 1 293 / 1	5.500 28.000 70.500 50.000 17.500	उत्तर – कृत्रिम सीमा रेखा सर्वे मुनारा क्र. 1 से 33 तक पूर्व – कृत्रिम सीमा रेखा सर्वे मुनारा क्र. 33 से 45 तक दक्षिण – कृत्रिम सीमा रेखा सर्वे मुनारा क्र. 45 से 63 तक। पश्चिम – कृत्रिम सीमा रेखा सर्वे मुनारा क्र. 63 एवं 73 एवं 73 से 1 तक
		योग	05	171. 500	
3.	छुहीगडई	03 छुहीगडई	138 / 1क 102 / 1क 113 / 1	75.200 5.500 1.905	उत्तर – कृत्रिम सीमा रेखा सर्वे मुनारा क्र. 1 से 2 तक। पूर्व – कृत्रिम सीमा रेखा सर्वे मुनारा क्र. 2 से 38 तक। दक्षिण – कृत्रिम सीमा रेखा सर्वे मुनारा क्र. 38 से 59 तक। पश्चिम – कृत्रिम सीमा रेखा सर्वे मुनारा क्र. 59 से 73 एवं 73 से 1 तक।
		योग	03	82.605	
		महायोग	09	346. 210	

अधिसूचना का कारण– वन संरक्षण अधिनियम, 1980 के अधीन प्रकरण Construction of New BG electrified Railway line from Urga to Dharamjaygarh from km 0 to km 62 in Korba and Raigarh District (आवेदक Chhattisgarh East Railway Ltd.) प्रत्यावर्तित रकबा 157.035 हे. के एवज में कटघोरा वनमंडल अंतर्गत केन्दई परिक्षेत्र में नारंगी वनभूमि में वैकल्पिक वृक्षारोपण प्रस्तावित।

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
मयंक पाण्ड़ेय, संयुक्त सचिव.

नवा रायपुर अटल नगर, दिनांक 7 फरवरी 2025

क्रमांक / एफ 5–01 / 2022 / 10–2(पार्ट).— भारत के संविधान के अनुच्छेद 348 के खण्ड (3) के अनुसरण में वन विभाग की अधिसूचना क्रमांक / एफ 5–01 / 2022 / 10–2 (पार्ट) दिनांक 7–02–2025 का अंग्रेजी अनुवाद राज्यपाल के प्राधिकार से एतद् द्वारा प्रकाशित किया जाता हैं।

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
मयंक पाण्ड़ेय, संयुक्त सचिव.

Nava Raipur Atal Nagar, the 7th February 2025

NOTIFICATION

No./F 5-01/2022/10-2(Part).— In exercise of the powers conferred by sub-section (1) of Section 4 of the Indian Forest Act, 1927 (No. 16 of 1927), the State Government, hereby, declares that it has been decided to constitute the following land with Khasra Number and areas as shown in column (4) and (5) respectively of the Schedule mentioned below and within such situation and limits as specified in column (6) of the said Schedule as "Reserved Forest" and appoints the Sub-divisional Officer (Revenue), Podi Uproda sub-division to act as the Forest Settlement Officer to inquire into and determine the existence, nature and extent of any rights alleged to exist in favour of any person in or over any land comprised in the said Schedule or in or over any forest-produce and to deal with same in accordance with the provisions of Chapter-II of the said Act, namely:-

SCHEDULE

District - Korba Division - Katghora Tahsil - Podi Uproda Range - Kendai

S.No.	Name of Forest Block	Patwari Halka No. and Name of Revenue Village, where Block is situated	Khasra Number	Area (in Hec.)	Location and Boundaries
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1.	Dhoba Pakhana-B	Koylar Gadara	Unsurveyed	92.105	North - Artificial boundary line Survey Pillar No. 5 to 15. East - Artificial boundary line Survey Pillar No. 15 to 26. South - Artificial boundary line Survey Pillar No. 26 to 30. West - Artificial boundary line Survey Pillar No. 30 to 1 and 1 to 5.
		Total	01	92.105	
2.	Chhindiya - B	04 Chhindiya 04 Damha muda	446/1 72/1 50/1 271/1 293/1	5.500 28.000 70.500 50.000 17.500	North - Artificial boundary line Survey Pillar No. 1 to 33. East - Artificial boundary line Survey Pillar No. 33 to 45. South - Artificial boundary line Survey Pillar No. 45 to 63. West - Artificial boundary line Survey Pillar No. 63 to 73 and 73 to 1.
		Total	05	171.500	
3.	Chhuhi Gadai	03 Chhuhi Gadai	138/1K 102/1K 113/1	75.200 5.500 1.905	North - Artificial boundary line Survey Pillar No. 1 to 2. East - Artificial boundary line Survey Pillar No. 2 to 38. South - Artificial boundary line Survey Pillar No. 38 to 59. West - Artificial boundary line Survey Pillar No. 59 to 73 and 73 to 1.
		Total	03	82.605	
			GrandTotal	346.210	

Reason for Notification- Compensatory afforestation over orange forest lands under Forest Conservation Act 1980 in Kendai Range of Katghora Forest Division for the project Construction of New BG electrified Railway line from Urga to Dharamjaygarh from km 0 to km 62 in Korba and Raigarh District (User agency: Chhattisgarh East Railway Ltd) against diverted area 157.035 ha.

By order and in the name of the Governor of Chhattisgarh,
MAYANK PANDEY, Joint Secretary.

संचालक, मुद्रण तथा लेखन सामग्री, छत्तीसगढ़ द्वारा शासकीय मुद्रणालय, रायपुर से मुद्रित तथा प्रकाशित – 2025.